अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

जबरा पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–गड़िया न0 27P

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 38 / 2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
17.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 566/रा0 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा मौजा– गड़िया न0 27P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– गड़िया न0 27P एक बेचिरागी व प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। इस मौजा के 16 आना रैयत मौजा–पुमम थाना सं0–59P हल्का संख्या–10 अंचल–तालझारी में निवास करते है। मौजा पुमम में श्री जबरा पहाडिया पिता स्व0 मैसा पहाडिया नियुक्त प्रधान है। अतः मौजा गड़िया न0 27P, के प्रधानी कार्य सुचारु रुप से संचालन हेतु मौजा पुमम के प्रधान जबरा पहाडिया के साथ समायोजित किया जा सकता है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में एवं कार्यहित तथा जनहित मौजा गड़िया न0 27P के लगान इत्यादि वसूली एवं अन्य ग्राम प्रधान संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु मौजा पुमम न0 59P के बहाल प्रधान श्री जबरा पहाडिया पिता–स्व0 मैसा पहाडिया, सा0–पुमम पहाड, थाना–तालझारी को अपने कार्यो के अतिरिक्त मौजा– गड़िया न0 27P, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल। [illegible] आज उपरवर्णित नव नियुक्त प्रधान से कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल	ज्ञापांक 419/[illegible] दिनांक- 21.8.19